समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण वाद संख्या–02/2017

झारखण्ड राज्य सरकार

–बनाम्–

जगदीश चन्द्र रजवार

–::आदेश::–

13.09.2018

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संधारित कागजातों को अवलोकन किया गया। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चास के पत्रांक–214 दिनांक–01.12.2016 के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा–7 के अन्तर्गत जब्त किए गए 100 (एक सौ) कि0ग्रा0 चीनी का अधिहरण हेतु अनुरोध किए जाने के फलस्वरूप यह वाद प्रारंभ किया गया है।

उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक–05.11.2016 को कुमारदागा गाँव के लोगो ने सिजुआ गाँव के श्री लालमोहन गोरांई के साईकिल पर लदा 50 कि0ग्रा0 का दो बोरा चीनी के साथ पकड़ा गया। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत चीनी श्री जगदीश चन्द्र रजवार, जनवितरण प्रणाली बिक्रेता से खरीदा है। ग्रामीणों के लिखित शिकायत पर कुमारदागा पंचायत के जनवितरण विक्रेता श्री जगदीश चन्द्र रजवार, अनुज्ञप्ति सं0 01/2003 के विरूद्ध जनवितरण प्रणाली की दुकान से वितरण किये जानेवाले सरकारी चीनी के कालाबाजारी करने के आरोप में अनुमंडल पदाधिकारी, चास के आदेशानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा–7 के अन्तर्गत पिण्ड्राजोरा थाना कांड सं0–92/16, दिनांक 09.11.2016 दर्ज किया गया है।

उक्त के क्रम में अधिहरण वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सहायक लोक अभियोजक, बोकारो एवं द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सहायक लोक अभियोजक, बोकारो द्वारा दलील दी गई कि विपक्षी के द्वारा प्रश्नगत चीनी अधिक मुनाफा कमाने हेतु कालाबाजारी करने के लिए अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था जो आवश्यक वस्तु अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध है। अतः उन्होंने जब्त चीनी को राज्य सरकार के हित में राज्यसात करने का अनुरोध किया है।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि पकड़े गए चीनी से श्री जगदीश चन्द्र रजवार का कोई लेना–देना नहीं है।

इस वाद में उन्हें गलत तरीके से फँसाया गया है। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चास के जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी के जनवितरण प्रणाली के दुकान के स्टॉक में किसी भी प्रकार की कमी नहीं पाई गई है। विपक्षी पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद एवं निराधार है। वह बिल्कुल निर्दोष हैं। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल कारण–पृक्षा को स्वीकार करने एवं आवश्यक आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

दोनों पक्षों की दलील एवं अभिलेख में संधारित अन्य कागजातों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विपक्षी के द्वारा जो दलील दिया गया उसका कोई ठोस आधार नहीं है। प्रश्नगत चीनी के अवैध रूप से परिवहन एवं कालाबाजारी में विपक्षी श्री जगदीश चन्द्र रजवार, जनवितरण प्रणाली विक्रेता की भूमिका संदेहात्मक प्रतीत होता है। स्पष्टतः उक्त थाना कांड संख्या के अन्तर्गत जब्त 100 (एक सौ) कि0ग्रा0 चीनी कालाबाजारी करने के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध है।

अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(ए) में निहित शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त अनियमितता के कारण 100 (एक सौ) कि0ग्रा0 चीनी को राज्य सरकार के हित में राज्यसात (Confiscate) करता हूँ। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को निदेश दिया जाता है कि श्री जगदीश चन्द्र रजवार, अनुज्ञप्ति सं0–01/2003 के जनवितरण प्रणाली की दुकान का विस्तृत जाँच करेंगें। दोषी पाये जाने की स्थिति में उनकी अनुज्ञप्ति रद्ध करने की कार्रवाई की जाय। इस आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करे।

लेखापित एवं संशोधित।

13.09.17

समाहर्त्ता–सह जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

समाहर्त्ता–सह जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.02.07 17:54:12 +05:30
Location: 192.168.1.104